

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15012020-215426
CG-DL-E-15012020-215426

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31]
No. 31]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 14, 2020/पौष 24, 1941
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 14, 2020/PAUSHA 24, 1941

**कारपोरेट कार्य मंत्रालय
अधिसूचना**

नई दिल्ली 14 जनवरी, 2020

सा.का.नि. 33 (अ)—केंद्रीय सरकार, कंपनी सचिव क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया और बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा भत्ते नियम, 2006 के नियम 8, उपनियम (1) के साथ पठित कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) की धारा 29क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 490(अ), तारीख 13 जुलाई, 2007 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

2. उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या (5) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(5) श्री प्रमोद कुमार राय, सदस्य” ।
उप कंपनी सचिव,
नेस्टले इंडिया लि.

3. ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

[फा.सं. 3(4)/प्रकीर्ण/2015-पीआई]

मनोज पाण्डेय, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), सा.का.नि. संख्यांक 490(अ), तारीख 13 जुलाई, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् उसमें सा.का.नि. संख्यांक 68(अ), तारीख 6 फरवरी, 2012, सा.का.नि. 564(अ), तारीख 21 अगस्त, 2013, सा.का.नि. 323(अ), तारीख 27 अप्रैल, 2015, सा.का.नि. 969(अ), तारीख 15 दिसंबर, 2015, सा.का.नि. 328(अ), तारीख 22 मार्च, 2016, सा.का.नि. 539(अ), तारीख 23 मई, 2016, सा.का.नि. 1246(अ), तारीख 11 अक्टूबर, 2017 और सा.का.नि. 1001(अ), तारीख 8 अक्टूबर, 2018 द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 14th January, 2020

G.S.R. 33 (E).—In exercise of the powers conferred by section 29A of the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980), read with sub-rule (1) of rule 8 of the Company Secretaries Procedures of Meetings of Quality Review Board, and Terms and Conditions of Service and Allowances of the Chairperson and Members of the Board Rules, 2006, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Corporate Affairs, published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 490(E), dated the 13th July, 2007, namely:-

2. In the said notification, for serial number (5) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

“(5) Shri Pramod Kumar Rai, Deputy Company Secretary, Nestle India Ltd.	Member”.
---	----------

3. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F.No. 3(4)/Misc./2015-PI]

MANOJ PANDEY, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (i) vide number G.S.R. 490(E) dated the 13th July, 2007 and subsequently amended vide number G.S.R. 68(E), dated the 6th February, 2012, G.S.R. 564(E), dated the 21st August, 2013, G.S.R. 323(E), dated the 27th April, 2015, G.S.R. 969(E), dated the 15th December, 2015, G.S.R. 328(E), dated the 22nd March, 2016, G.S.R. 539(E), dated the 23rd May, 2016, G.S.R. 1246(E), dated the 11th October, 2017 and G.S.R. 1001(E), dated the 8th October, 2018.